संख्या– 667 /X–3–18–16(01)/2014

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः– 08 अक्टूबर, 2018

विषयः– उत्तराखण्ड में यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (Cordyceps sinensis) के संग्रहण, विदोहन एवं रायल्टी आदि की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में यारसा गम्बू (कीड़ा–जड़ी) के संग्रहण को सुव्यवस्थित तरीके से विनियमित (REGULATE) कर स्थानीय नागरिकों को उक्त संग्रहण से लाभ सुलभ कराये जाने तथा वर्तमान में दोहन एवं परिवहन हेतु कोई परमिट/रवन्ना इत्यादि की व्यवस्था न होने के कारण संग्रहणकर्ताओं एवं व्यापारियों द्वारा यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी का संग्रहण/परिवहन किये जाने पर संग्रहणकर्ताओं एवं व्यापारियों को होने वाली कठिनाईयों से उन्हें निजात दिलाये जाने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 की उपधारा (4)(b) के अंतर्गत यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी को वनोपज मानते हुए वन विभाग के सामान्य पर्यवेक्षण/नियंत्रण में यारसागम्बू/कीड़ा जड़ी के संग्रहण, विदोहन एवं रायल्टी आदि के निर्धारण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(1) वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों से यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी का विदोहन नहीं किया जायेगा।

(2) आरक्षित वनों में यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी का विदोहन सम्बन्धित वन प्रभाग के स्वीकृत प्रबन्ध योजना के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिए कक्षवार निकटतम वन पंचायतों का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करते हुये उस वन पंचायत के स्थानीय नागरिक को संग्रहण हेतु अनुज्ञापत्र **संलग्न प्रपत्र 'क'** में संबन्धित वन क्षेत्राधिकारी (Range Officer) द्वारा जारी किया जायेगा।

(3) पंचायती वनों में यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी के विदोहन करने का अधिकार केवल सम्बन्धित ग्राम सभा के स्थानीय निवासियों को ही होगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी विदोहन करने का अनुज्ञा–पत्र **संलग्न प्रपत्र 'क'** में ग्राम प्रधान तथा सरपंच, वन पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति को ₹ 200 प्रति अनुज्ञा वन पंचायत के खाते में जमा करना आवश्यक होगा।

(4) सिविल क्षेत्र तथा अवर्गीकृत व गैर बन्दोबस्ती क्षेत्रों से यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी के एकत्रीकरण हेतु इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से सुखाधिकार प्राप्त निकटवर्ती ग्राम सभाओं के समस्त नागरिक एकत्रीकरण हेतु हकदार होंगे। ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी संग्रहण की अनुज्ञा सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से **संलग्न प्रपत्र 'क'** में दी जायेगी। परम्परागत सुखाधिकार के संदर्भ में

Scanned by CamScanner

ग्रामसभाओं के बीच किसी प्रकार का विवाद होने पर प्रकरण वन अधिकार अधिनियम के तहत् गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को संदर्भित होगा, जिसके द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) सिविल/अवर्गीकृत वन क्षेत्र से यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी एकत्रीकरण के अधिकार की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त सम्बन्धित गाँव के इच्छुक व पात्र व्यक्तियों का वन पंचायत सरपंच/प्रधान (जैसी भी स्थिति हो) व पटवारी की संस्तुति पर वैध पहचान पत्र सहित प्रार्थना पत्र के आधार पर संग्रहकर्ता के रूप में पंजीकरण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में निम्न प्रारूप में पंजिका का संधारण वन क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगाः–

क्र0स0	गाँव/वन पंचायत का नाम	तहसील	संग्रहकर्ता का नाम व जन्मतिथि	क्षेत्र जहाँ से यारसागम्बू एकत्रीकरण हेतु पंजीकरण किया जा रहा है
1	2	3	4	5

(6) प्रत्येक संग्रहणकर्ता **प्रपत्र 'क'** में प्राप्त अनुज्ञा की प्रति के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ख'** पर शपथ पत्र देते हुए सम्बन्धित राजि कार्यालय में अपना पंजीकरण करायेगा और वन क्षेत्राधिकारी (Forest Range Officer) नियमानुसार पंजीकृत करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा नियत प्रारूप पर फोटो युक्त ''अधिकारधारी कार्ड'' जारी करेगा। वन पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरपंच की संस्तुति तथा सिविल व अवर्गीकृत क्षेत्र के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्राम सभा की बैठक उपरान्त ग्राम प्रधान व पटवारी की संस्तुति के आधार पर पंजीकृत संग्रहकर्ताओं का ग्रामवार विवरण 15 मार्च तक हर दशा में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी का संग्रहण करने की अनुज्ञा इस शर्त के साथ निर्गत की जायेगी कि संग्रहणकर्ता संग्रहण क्षेत्र के पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचायेगा और यदि ऐसा करते हुए पाया गया अथवा ऐसा प्रमाण मिला कि सम्बन्धित व्यक्ति किसी प्रतिबंधित कार्य में लिप्त रहे तथा उनके द्वारा क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुचाया गया तो ऐसे व्यक्ति को आगामी यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी विदोहन काल के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा तथा संगत अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा एकत्रित यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी के विक्रय की कार्यवाही की जायेगी। यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी का संग्रहण एवं विदोहन करते समय किस प्रकार पर्यावरण को हानि से बचाया जा सके, इसके संबंध में वन विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे तथा विशेष प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जायेगा।

(8) पंचायती वनों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी के विदोहन पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा। बाहरी व्यक्तियों का पंचायती वनों में यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी के

Scanned by CamScanner

विदोहन पर पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित करने हेतु सरपंच, वन पंचायत द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा प्रभागीय वनाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(9) प्रत्येक संग्रहणकर्ता अनुज्ञा पत्र में निर्दिष्ट विदोहन काल के दौरान संग्रहीत यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की मात्रा की सूचना निकटतम राजि कार्यालय में देगा। सम्बन्धित संग्रहणकर्ता को राजि कार्यालय द्वारा उक्त की पुष्टि करने के उपरांत संग्रहीत यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की मात्रा का उल्लेख कर वांछित स्थान तक निकासी रवन्ना निर्गत किया जायेगा, जिसके लिए संग्रहणकर्ता प्रथम 100 ग्राम तक न्यूनतम ₹ 1000.00 तथा इससे अधिक मात्रा हेतु ₹ 1000.00 प्रति 100 ग्राम की दर से ₹ 1000 के गुणकों में (अगले एक हजार के गुणांत तक पूर्णांक में) रॉयल्टी जमा कर राजि कार्यालय से रसीद प्राप्त करेगा (जैसे–90 ग्राम–₹ 1000.00, 120 ग्राम–₹ 2000.00)। इस प्रकार जमा हुई रायल्टी में से वन पंचायत क्षेत्र से संग्रहीत रायल्टी का अंश वन पंचायतों को वन पंचायत नियमावली, 2005 के नियम–30 के अनुसार वितरित किया जायेगा, परन्तु वन पंचायत के किसी मूल निवासी द्वारा वन पंचायत से इतर क्षेत्रों (जैसे वन भूमि, सिविल क्षेत्र तथा अवर्गीकृत व गैर बन्दोबस्ती क्षेत्र) से यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी संग्रहण किया गया है, तो उस दशा में संग्रहीत रायल्टी वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

(10) निकासी रवन्ने की वैधता मात्र 15 दिन की होगी तथा निकासी रवन्ने को वन विभाग के प्रथम बैरियर पर जाँच कराकर निरस्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) रॉयल्टी की दरें शासन स्तर से समय–समय पर परिवर्तित/पुनर्निर्धारित की जाएंगी।

(12) क्रेता/व्यापारी जैसे– भेषज संघ, वन निगम अथवा निजी व्यक्ति को यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी के क्रय–विक्रय हेतु अनुज्ञा प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा नियत प्रपत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी। यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की क्रय प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के इच्छुक निजी क्रेताओं/व्यक्तियों/व्यापारियों को संबंधित वन प्रभाग में पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण क्रेता से संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा छः माह से अनधिक अवधि में निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (जो छः माह से अधिक पुराना न हो), बैंक द्वारा जारी क्रेडिट लिमिट के प्रमाण पत्र सहित फोटो पहचान–पत्र व पते का प्रमाण लेकर किया जा सकेगा। भेषज संघ अथवा वन निगम द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अनुज्ञा अधिकृत पदाधिकारी को उनका फोटो पहचान पत्र लेकर निर्गत किया जायेगा। इस पंजीकरण हेतु प्रथम बार रू0 10000/– की धनराशि वन राजस्व में जमा किया जाना आवश्यक होगा। बाद के वर्षों में पंजीकरण का नवीनीकरण चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा रू0 1000/– का नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर किया जायेगा।

(13) यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी से सतत् उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी का संग्रहण चक्रीय विदोहन (Rotational collection) पद्धति से

Scanned by CamScanner

सम्बन्धित प्रभाग के स्वीकृत प्रबन्ध योजना के प्राविधानानुसार किया जायेगा। प्रतिवर्ष यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी विदोहन हेतु क्षेत्र को इस प्रकार से चिन्हित किया जायेगा, जिससे कि बुग्याल का एक अंश संग्रहण से मुक्त रह सके।

(14) उक्त उप प्रस्तर (2), (3) एवं (4) में इंगित क्षेत्रों से यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी एकत्रीकरण की अवधि प्रतिवर्ष ''01 अप्रैल से 15 जुलाई तक'' होगी।

(15) संग्रहणकर्ता द्वारा रायल्टी भुगतान के उपरान्त यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी का विक्रय अपनी इच्छा से भेषज संघ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम अथवा क्रेता/व्यापारी को किया जा सकता है।

(16) पंजीकृत यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी क्रेताओं द्वारा खरीदे गये यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की निकासी/रवन्ना सम्बन्धित वन प्रभाग, जिनके प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रय स्थल पड़ता है, के अधिकृत वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार उत्तराखण्ड वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012 के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(17) यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी का परिवहन क्रय स्थान से प्रदेश के बाहर अथवा भीतर अन्य स्थान को किये जाने पर रवन्ना शुल्क न्यूनतम ₹ 1000 प्रति 100 ग्राम तथा इससे अधिक मात्रा के लिए ₹ 1000.00 प्रति 100 ग्राम की दर से ₹ 1000 के गुणकों में (अगले एक हजार के गुणांत तक पूर्णांक में) रखा जायेगा (जैसे–90 ग्राम–₹ 1000.00, 120 ग्राम–₹ 2000.00)।

(18) उत्तराखण्ड के वन पंचायतों का गठन भारतीय वन अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 के साथ पठित धारा 28 की उक्त धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर किया गया है तथा तद्नुसार ही उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली, 2005 प्रख्यापित की गई है। अतः यदि किसी अधिकारधारी अथवा बाहरी व्यक्ति द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा उत्तराखण्ड वन पंचायती नियमावली, 2005 में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसके विरूद्ध संगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(19) इस कार्य प्रक्रिया के लागू होने के उपरान्त शासनादेश संख्या–1790/व0ग्रा0वि0/2002, दिनांक 18 जनवरी, 2002 को अतिक्रमित समझा जायेगा।

2– उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (Cordyceps sinensis) को प्रोत्साहन/उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से पृथक से क्रय–विक्रय केन्द्र स्थापित करने की भी यथाप्रक्रिया कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

5/10/2018

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–667 (1)/X–3–18–16(01)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) मण्डलायुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) शासकीय पोर्टल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

5.10.2018

(डा0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–'क'

यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी विदोहन हेतु अनुज्ञा पत्र :–

संग्रहण कर्ता की फोटो
(वन क्षेत्राधिकारी/सरपंच/प्रधान/पटवारी द्वारा सत्यापित)

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
.....को वन क्षेत्र..... से यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी विदोहन करने की अनुमति विदोहन काल दिनांक.....से दिनांक.....तक के लिए निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है :–

1. यह अनुज्ञा पत्र व्यक्ति विषेश के लिए निर्गत किया गया है, अतः अन्य व्यक्ति से इसका प्रयोग वर्जित है।
2. यह अनुज्ञा पत्र अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
3. जिस यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी विदोहन काल के लिए यह अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया है, के दौरान संग्रहण कर्ता द्वारा संग्रहित यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की संपूर्ण मात्रा सूचित करना अनिवार्य होगा।
4. संग्रहण कर्ता द्वारा संबंधित पंचायती वन अथवा आस–पास के वन क्षेत्र के वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाया जायेगा। यदि संग्रहण कर्ता कैसे ऐसे किसी भी गतिविधि पर सम्मिलित होते हुये पाये गये तो उसका अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जायेगा और उसका नाम काली सूची में डालते हुये भविष्य में उन्हें अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
5. संग्रहण कर्ता द्वारा सदैव यह अनुज्ञा पत्र अपने पास रखा जायेगा और अन्यथा की दशा में संग्रहण कर्ता को अवैध मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
6. संग्रहण कर्ता द्वारा बिक्री करने हेतु यारसा गम्बू/कीड़ा जड़ी को अन्यत्र परिवहन करते समय अपने पास यह अनुमति पत्र, वन विभाग में रायल्टी जमा करने की रसीद व निकासी रवन्ना रखना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में संग्रहण को अवैध मानते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(वन क्षेत्राधिकारी/सरपंच/प्रधान का पूरा नाम)
मुहर सहित पता

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–'ख'

यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी संग्रहणकर्ता के पंजीकरण हेतु शपथ–पत्र

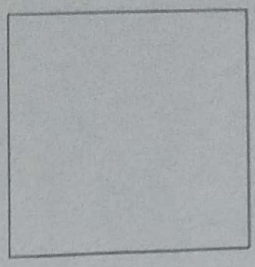

संग्रहण कर्ता की फोटो

(सरपंच/प्रधान द्वारा सत्यापित)

श्री/श्रमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
निवासी ..... यह शपथ करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा वन पंचायत/सिविल/अवर्गीकृत वन क्षेत्र ..... से एकत्रित किये गये यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी की मात्रा सम्बन्धी सभी सूचना वन क्षेत्राधिकारी को अनुज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के पूर्ण होने के दौरान अथवा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा कर शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी आदि का भुगतान करूँगा/करूँगी। मैं इस शर्त से भली–भाँति विज्ञ हूँ कि मेरे द्वारा यदि इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो मरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के साथ–साथ मेरा नाम काली सूची में डालते हुए आगामी यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी विदोहन काल में अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी .....

रेंज .....

..... वन प्रभाग।

(हस्ताक्षर)

(संग्रहण कर्ता का पूरा नाम व पता)

Scanned by CamScanner